

बाल संदग्धों के आकलन हेतु दशा-नरिदेश

प्रलिमिंस के लयि:

[NCPCR](#), [पोसको](#), [JJB](#), [अनुच्छेद 21](#), [राज्य के नीतनरिदेशक सदिधांत \(DPSP\)](#) ।

मेन्स के लयि:

बाल संदग्धों के आकलन हेतु दशा-नरिदेश ।

चरचा में क्यो?

[राष्ट्रीय बाल अधकार संरक्षण आयोग \(National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR\)](#) ने यह नरिधारति करने हेतु आकलन के लयि दशा-नरिदेश जारी कयि हैं कआपराधकि मामलों में बच्चे को नाबालगि माना जाना चाहयि या नहीं । बच्चों द्वारा कयि गए आपराधकि मामले [कशोर न्याय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) अधनियिम, 2015](#) के तहत 'जघन्य' अपराध श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ।

प्रमुख बदि

- बाल संदग्धों का आकलन वशिषज्जों की एक टीम द्वारा कयि जाना चाहयि, जसिमें बाल मनोवैज्जानकि या मनोचकितिसक, एक चकितिसक और सामाजकि कारयकर्त्ता शामिल हों ।
 - आकलन में **बच्चे की उमर, वकिसातमक अवस्था और परपिकवता स्तर** के साथ-साथ आघात या दुरव्यवहार के कसिी भी ववरण को ध्यान में रखा जाना चाहयि ।
- टीम को बच्चे की संज्जानातमक कषमता और उस पर लगे आरोपों को समझने की कषमता पर भी वचार करना चाहयि ।
- **बाल संदग्धों को कानूनी सहायता** और बाल कल्याण एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी ।
- **कशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board- JJB)** संदग्ध बच्चों का प्रारंभकि मूल्यांकन करने के लयि जमिमेदार होगा ।
 - JJB को बच्चे को पहली बार उसके सामने लाए जाने की तारीख से **तीन महीने के भीतर इस आकलन को पूरा करना** होगा ।
 - यद JJB यह नरिधारति करता है क बच्चे का परीक्षण एक वयस्क के रूप में कयि जाने की आवश्यकता है, तो वह मामले को **बाल न्यायालय में स्थानांतरति कयि जाएगा** । JJB अनविर्य रूप से आकलन प्रकरयि में एक महत्त्वपूर्ण भूमकि नभिता है और यह नरिधारति करता है क भिमला कशोर न्यायालय या वयस्क न्यायालय में चलाया जाना चाहयि या नहीं ।

JJ अधनियिम, वर्ष 2015 के तहत अपराधों की श्रेणियाँ और उनका वभिदीकरण:

- JJ अधनियिम, वर्ष 2015 बच्चों द्वारा कयि गए अपराधों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: छोटे अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध ।
 - छोटे अपराधों में वे शामिल हैं जनिके लयि कसिी भी कानून के तहत **अधिकतम कारावास तीन वर्ष तक की कैद है** ।
 - गंभीर अपराधों में वे अपराध शामिल हैं जनिके लयि **न्यूनतम कारावास तीन वर्ष से अधिक** लेकनि सात वर्ष से अधिक नहीं है ।
 - जघन्य अपराधों में वे शामिल हैं जनिके लयि **भारतीय दंड संहति या कसिी अन्य कानून के तहत न्यूनतम सात वर्ष या उससे अधिक का कारावास है** ।
- एक वशिषिट प्रावधान है जसिके तहत जघन्य अपराध की जाँच की शुरुआत बच्चे की उमर के आधार पर की जाती है औइस प्रारंभकि आकलन के लयि दो आवश्यक शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है:
 - अपराध अधनियिम में परभाषति 'जघन्य' की श्रेणी में होना चाहयि ।
 - जसि बच्चे ने कथति रूप से अपराध कयि है उसकी आयु 16-18 वर्ष के बीच होनी चाहयि ।

दशा-नरिदेशों की आवश्यकता:

- भलाई सुनश्चिति करना:

- जनि बच्चों पर जघन्य अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, वेकमज़ोर होते हैं, अतः उनकी शारीरिक और भावनात्मक भलाई सुनिश्चित करने हेतु विशेष देखभाल एवं ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।
- आकलन किसी भी अंतरनहिंति मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों, आघात या दुरव्यवहार की पहचान करने में मदद कर सकता है जिसके लिये हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।
- संज्ञानात्मक क्षमता निर्धारित करना:
 - बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के वभिन्न स्तर होते हैं, जो उनके खिलाफ आरोपों को समझने और कानूनी कार्यवाही में भाग लेने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
 - यह आकलन उनकी समझ के स्तर को निर्धारित करने में मदद कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उन्हें उन कार्यों हेतु गलत तरीके से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जिन्हें वे पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं।
- कानूनी नरिणय:
 - बाल संदिग्धों का आकलन न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है, जिन्हें किसी मामले में आगे बढ़ने के तरीके के बारे में नरिणय लेने की आवश्यकता हो सकती है।
 - उदाहरण के लिये आकलन यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि क्या कोई बच्चा परीक्षण हेतु तैयार है या क्या अन्य उपाय, जैसे पुनर्वास या परामर्श अधिक उपयुक्त हो सकते हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR):

- NCPCR बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- आयोग का प्राथमिक कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी देशों में नरिणय सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र, बाल अधिकारों के परापेक्ष्य में भारतीय संविधान एवं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप हों।
- यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत एक बच्चे के मुफ्त और अनविर्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है।
- यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences- POCSO) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन की नगरानी करता है।

बच्चों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान प्रत्येक बच्चे को गरमा के साथ जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21), व्यक्तगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), नजिता का अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और/या उसके वरिद्ध भेदभाव का अधिकार (अनुच्छेद 15), शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23 एवं 24) की गारंटी देता है।
- 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये मुफ्त और अनविर्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं विशेष रूप से अनुच्छेद 39 (f) के तहत राज्य की यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों के जीवन के विकास, उन्हें स्वतंत्रता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिये अवसर और संसाधन प्रदान किये जाएँ। साथ ही बच्चों और कशिरों के शोषण तथा उन्हें भौतिक एवं नैतिक परित्याग से बचाना राज्य का कर्तव्य है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)